[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 20/2019-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 06 जुलाई, 2019

सा.का.नि.....(अ)-केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. सं. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	2709 00 00	(i) पैट्रोलियम कच्चा तेल के सिवाय सभी माल ; (ii) पैट्रोलियम कच्चा तेल	शून्य 1 रुपए प्रति टन	- -	- -";

[फा. सं.334/03/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. सं. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना सं.70/2018-सीमाशुल्क, तारीख 26 सितम्बर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) सा.क.नि. सं. 930(अ), तारीख 26 सितम्बर, 2018 द्वारा संशोधित की गई ।